

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 406]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 3 अगस्त 2010—श्रावण 12, शक 1932

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2010

सूचना

क्र. एफ-2-1-2009-बाईस-पंचायत-2.—मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 70 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकरी के लिए एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर उक्त संशोधन के प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर या उसके पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में, नियम 6 में,—

(एक) उपनियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(8) संविदा शाला शिक्षक के नियोजन का विज्ञापन, राज्य सरकार के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अधिकरण द्वारा प्रकाशित किया जाएगा और संविदा शाला शिक्षक के नियोजन की प्रक्रिया, राज्य सरकार के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी.”;

(दो) उपनियम (10), (11) तथा (13) लोप किया जाए,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2010

पृ. क्र. एफ 2-1-2009 बाईस-पी-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-1-2009-22-पी-2, दिनांक 3 अगस्त 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd August 2010

NOTICE

No. F-2-1-2009-XXII-P-2.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Panchayat Samvida Shala Shikshak (Employment and Conditions of Contract) Rules, 2005, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (2) of Section 70 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) is hereby published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act for the information of all the persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 6,—

(i) for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(8) The advertisement of employment of Samvida Shala Shikshak shall be published by an agency specified by the order of the State Government, and the procedure of employment of Samvida Shala Shikshak shall be specified by the executive orders of the State Government.";

(ii) sub-rule (10), (11) and (13) shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
URMILA SURENDRA SHUKLA, Dy. Secy.